न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 158/2015

1. सुखविन्द्रकौर पुत्री प्रीतमसिंह पत्नी अमरीकसिंह जाति मजहबी सिख निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. छिन्द्रकौर पुत्री प्रीतमसिंह पत्नी जरनेलसिंह जाति मजहबी सिख निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. बलविन्द्रकौर पुत्री प्रीतमसिंह पत्नी जगदीश जाति मजहबी सिख निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर —अपीलार्थीगण

बनाम

1. गुरमीतसिंह पुत्र सुखदेवसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति मजहबी सिख निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखदेवसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति मजहबी सिख निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर/उपपंजीयक श्रीगंगानगर ।

—— रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर

दिनांक 01.07.2015

उपस्थिति

श्री गुरचरणसिंह, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

19/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक 19.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/वादी/रेस्पो.स.1 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि चक 18 एफ बडा के मु.न. 45 के कि.न. 1 से 13 की 3.0880 है. भूमि में वादी की दादी के नाम से 3/5 हिस्सा दर्ज है। वादी/प्रार्थी की दादी ने प्रार्थी के हक में दिनांक 05.07.2006 को वसीयत करवा दी । पारिवारिक समझोता व वसीयत के आधार पर 6.05 बीघा भूमि का प्रार्थी का हक बनता है जिससे अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल करने की फिराक में है। यदि ऐसा करने में वे सफल हो गये तो वादी/प्रार्थी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः निवेदन है कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे मु.न. 45 के कि.न. 1 से 5, 10 की 6.05 बीघा भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तथा रहन बैय आदि से मुन्तकिल नहीं करें ।

अप्रार्थी सं0 2 से 4 ने जबाव प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि इन्द्रकौर द्वारा कोई वसीयत नहीं करवाई गई और न ही कोई पारिवारिक समझोता किया गया । अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाता में रकबा दर्ज हैं एवं अप्रार्थी सं0 2 से 4 अभिलिखित खातेदार हैं जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । यदि प्रार्थी के पक्ष में दादी द्वारा वसीयत करवाई होती तो आज तक उसका इन्तकाल दर्ज क्यों नहीं करवाया । इस प्रकार प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावें ।

19/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी.न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद दिनांक 01.07.2015 को प्रा. पत्र स्वीकार करते हुए मु.न. 45 की 3.0880 भूमि के सम्बन्ध में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि अप्रार्थीगण उक्त भूमि का बेचान नहीं करेगें एवं रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति रखी जावे । जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

रेस्पो. के वकील को बार–बार आवाजे लगाने के पश्चात उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर वकील अपीलांट की एक तरफा बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं धारा 212 आरटीए के प्रा.पत्र के जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण अभिलिखित खातेदार है उन्होंने अपना हिस्सा कभी तर्क नहीं किया न ही इन्द्रकौर ने कभी कोई वसीयत नहीं की न ही कोई पारिवारिक समझोता हुआ है। विधिक के प्रावधानों के अनुसार अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थी ने कथित वसीयत 2.14 बीघा भूमि बताई है जबकि रेस्पो. सं.1 ने अपना कब्जा 6.10 बीघा भूमि पर बताया है । अधी. न्यायालय द्वारा समस्त 3.088 है. भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। अधिक से अधिक 2.14 बीघा भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती थी । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

19/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वकील अपीलांट की एक तरफा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अधी.न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी की फोटो प्रति के अनुसार विवादित 3.0880 है. भूमि में इन्द्रकौर का 3/5 हिस्सा अंकित है एवं उसके द्वारा जो वसीयत की गई है वह भी 2.14 बीघा की है एवं प्रार्थी/रेस्पो. ने 6.05 बीघा भूमि पर अपना कब्जा होना बताते हुए इसी भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है किन्तु अधी.न्यायालय ने समस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी । वसीयत सही है या फर्जी है, वसीयत के आधार पर प्रार्थी को कोई हक व अधिकार प्राप्त होने है या नहीं इसका निर्णय तो मूल वाद में तय होगा । तथाकथित वसीयत में इन्द्रकौर ने प्रार्थी के पक्ष में 2.14 बीघा भूमि की वसीयत की है इससे ज्यादा भूमि की मांग प्रार्थी नहीं कर सकता । अधी. न्यायालय में प्रार्थी ने 6.05 बीघा भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है किन्तु अधी.न्यायालय ने समस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जो कि न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला जितनी भूमि के सम्बन्ध में बनता हो उससे ज्यादा हेतु वह अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था न ही उससे अधिक का अनुतोष दिया जा सकता था । इस प्रकार अधी.न्यायालय ने समस्त भूमि के सम्बन्ध में जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है वह न्यायोचित नहीं है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 01.07.2015 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित भूमि चक 18 एफ बडा के खाता संख्या 73/66

19/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

मु.न. 45 की 3.0880 है. भूमि के स्थान पर 2.14 बीघा भूमि की सीमा तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी ।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/7/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर